


सरकार / किशन कुमार, मु.नं. 188/2023

अन्वयित्व संख्या 212 RTI

Continuation Note Sheet

06.03.24

प्रार्थी द्वारा जरिए वकील प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर मूल वाद 177 आर.टी.ए. खारिज किया जा चुका है। मूल वाद के खारिज होने से इस प्रकरण का कोई औचित्य शेष नहीं है। अतः इस प्रकरण को भी खारिज किया जाता है। पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर वाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

